न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी **शिवांगी स्वर्णकार**, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 08/2019 (रसद)
पंजीयन दिनांक 01.04.2019

श्री कालू सिंह पिता किशन सिंह राजपूत निवासी केलझर उचित मूल्य दुकानदार केलझर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

................अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़

................विपक्षी

अपील विरूद्ध निलम्बन आदेश दिनांक 21.12.2018 प्रकरण संख्या/रसद/विधि/18/2018 जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़

उपस्थितिः– 1–श्री राकेश कुमार जैन, अधिवक्ता अपीलान्ट
2–श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 03.09.2019

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21.12.2018 को प्रवर्तन निरीक्षक चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान केलझर का निरीक्षण किया गया। कथित फर्द मौका अनुसार प्रार्थी की दुकान पर 96.00 क्विंटल गेहूं कम होना बताया गया है जबकि वक्त निरीक्षण ही प्रवर्तन निरीक्षक को बताया गया कि मार्च, 2017 में नेटवर्क की अनुपलब्धता के कारण उपभोक्ताओं को गेहूं का वितरण ऑफलाईन (मेन्यूअल) किया गया है तथा जिसकी सूचना जिला रसद कार्यालय को प्रेषित की गई थी फिर भी अधीनस्थ कार्यालय द्वारा अपीलार्थी की दूकान का दिनांक 21.12.2018 को निलम्बन आदेश जारी कर दिया। उक्त निलम्बन की जांच निलम्बन आदेश दिनांक से 90 दिवस में पूर्ण करना विधिनुसार आवश्यक था किन्तु 90 दिवस की अवधि के बाद भी जांच पूर्ण नहीं की गई और न ही लाईसेंस का निलम्बन निरस्त कर लाईसेंस बहाल किया। अतः अपील स्वीकार की जाकर उचित मूल्य दुकान केलझर का लाईसेंस तुरन्त बहाल किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली तलब की गई। जिला रसद अधिकारी की ओर से पैरोकार सरकार प्रवर्तन अधिकारी के उपस्थित होने एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने से बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मेमो मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 21.12.2018 को अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान केलझर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पोस मशीन में अंकित अनुसार 96.00 क्विंटल गेहूं कम पाए जाने पर अपीलार्थी ने वक्त निरीक्षण ही बता दिया कि माह मार्च, 2017 मे नेटवर्क की अनुपलब्धता के कारण गेहूं का वितरण ऑफलाईन किया गया है जिसकी सूचना जिला रसद कार्यालय में भी प्रेषित की गई है इसके अलावा अपीलार्थी को केलझर के अतिरिक्त ग्राम कुसरिया उप केन्द्र के लिए भी गेहूं वितरण का कार्य सौंपा हुआ था उक्त उप केन्द्र का निरीक्षण भी उस समय किये जाने का निवेदन किया किन्तु उप केन्द्र कुसरिया का निरीक्षण नहीं किया गया। अपीलार्थी को दोनों केन्द्रों के लिए एक ही पोस मशीन उपलब्ध कराई गई है यदि उस समय दोनो केन्द्रों का निरीक्षण किया जाता तो गेहूं कम नहीं पाया जाता। फिर भी अधीनस्थ कार्यालय द्वारा दिनांक 21.12.2018 को ही अपीलार्थी का लाईसेंस निलम्बन कर दिया। निलम्बन आदेश दिनांक 21.12.2018 से 90 दिवस की अवधि में अपीलार्थी के विरूद्ध विचाराधीन जांच को पूरा करना था तथा 90 दिवस में जांच पूर्ण नहीं होने पर लाईसेन्स स्वतः ही जिला रसद अधिकारी को बहाल कर दिया जाना चाहिए था किन्तु उनके द्वारा निलम्बन आदेश दिनांक 21.12.2018 से 90 दिवस के पश्चात् भी दिनांक 20.03.2019 तक भी अपीलार्थी के विरूद्ध विचाराधीन जांच कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई है तथा 90 दिवस की कालावधि समाप्त होने के पश्चात् भी अपीलार्थी का लाईसेंस आदिनांक तक बहाल नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलार्थी का लाईसेंस बहाल कराने का आदेश प्रदान करावें।

प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान केलझर का निरीक्षण करने पर पोस मशीन में 96.00 क्विंटल गेहूं कम पाये जाने से उसका लाईसेंस निलम्बन का आदेश दिया गया था। अतः सात दिवस में अपीलार्थी के विरूद्ध उक्त जांच कार्यवाही पूर्ण कर ली जावेगी। अतः अपील खारीज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रवर्तन निरीक्षक, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान केलझर का निरीक्षण करने पर पोस मशीन में दर्ज गेहूं की मात्रा से 96.00 क्विंटल गेहूं कम पाये जाने से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने अपीलार्थी का लाईसेंस निलम्बित किया, किन्तु राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 8 के उपखण्ड 2 अनुसार

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 08/2019 (रसद)
श्री कालू सिंह राजपूत उचित मूल्य दुकानदार केलझर बनाम राजस्थान राज्य जरिए जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़

अधिकतम 90 दिवस की अवधि तक प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जा सकेगा परन्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा 90 दिवस अथवा प्राधिकार पत्र निलम्बन की अवधि जो भी कम हो, में प्रकरण का अन्तिम निस्तारण किया जाना अनिवार्य है लेकिन जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा आदिनांक तक अपीलार्थी के प्रकरण का अन्तिम निस्तारण नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वे सात दिवस में अपीलार्थी के प्रकरण का अन्तिम निस्तारण कर पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(शिवांगी स्वर्णकार)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official